

1

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1479 / 2011 ई0फौ0

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
प्रकरण क्रमांक 1479 / 2011  
संस्थापित दिनांक 27 / 12 / 2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-  
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. सुरेश परिहार पुत्र हरनाम सिंह परिहार उम्र 50 वर्ष  
निवासी वार्ड नं0 10 झंडू मोहल्ला मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा- 279 एवं 338 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 / 181

एवं 146 / 196 मोटरयान अधि. )

(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता- श्री आर0पी0एस0 गुर्जर )

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 26.05.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 08.06.11 को दिन लगभग 13 बजे रामकरण के ट्यूबवैल के पास मौ बेहट रोड थाना मौ में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्र. एमपी 07 एमएच 7992 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी सतीश की मोटरसाइकिल क्र. एमपी 30 एमडी 1304 में टक्कर मारकर सतीश को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर गम्भीर उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181 एवं 146 / 196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.11 को फरियादी सतीश अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 30 एमडी 1304 से अपने गांव से मौ जा रहा था। विनोद मोटरसाइकिल चला रहा था एवं वह पीछे बैठा था। मौ बेहट रोड पर रामकरण के ट्यूबवैल के पास मौ की तरफ से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 का चालक मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर

मार दी थी। टक्कर लगने से उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे चोट आई थी। मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को लेकर बेहट की तरफ भाग गया था। घटना विनोद एवं महेश ने देखी थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मौ में अपराध क्रमांक 125/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.06.11 को दिन लगभग 13 बजे रामकरण के ट्यूबबेल के पास मौ बेहट रोड थाना मौ में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्र. एमपी 07 एमएच 7992 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क्र. एमपी 07 एमएच 7992 को उपेक्षापूर्ण तरीके चलाते हुए फरियादी सतीश की मोटरसाइकिल क्र. एमपी 30 एमडी 1304 में टक्कर मारकर उसे अस्थिरांग कारित कर उसे गम्भीर उपहति कारित की?
3. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क्र. एमपी 07 एमएच 7992 को चलाने का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी सतीश यादव अ.सा. 1, महेश अ.सा.2, मनोज अ.सा. 3, विनोद सिंह यादव अ.सा. 4, ए0एस0आई0 आर0बी0 शर्मा अ0सा0 5, डॉ0 आर0विमलेश अ0सा0 6, ए0एस0आई0 शिवदत्त अ0सा0 7 एवं डॉ0 एफ0सी0 बंसल अ0सा0 8 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण**  
**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3**

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी सतीश यादव अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वर्ष 2011 के दिन के 01 बजे की है। वह उस दिन अपनी मोटरसाईकिल से अपने गांव मौ जा रहा था। उसकी मोटरसाईकिल को विनोद चला रहा था वह पीछे बैठा हुआ था। मौ बेहट रोड पर रामवरन की पुलिया के पास मौ की तरफ से प्लेटिना मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 के चालक ने लापरवाही से आकर सामने से उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई थी। टक्कर मारने वाला चालक मोटरसाईकिल को बेहट की तरफ भगा कर ले गया था। उसने थाना मौ में रिपोर्ट की थी जो प्र0पी0 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पदक्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि हाजिर अदालत आरोपी सुरेश को वह जानता है। पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी सुरेश मौ की तरफ से आ रहा था एवं वह ग्वालियर की तरफ जा रहा था। दोनों ही मोटरसाईकिल आमने सामने से आ रही थीं। पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक से सुरेश उसे नहीं मिला है यदि मिलता तो वह उसे पहचान लेता। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 15.06.15 को उसे सुरेश मिला था उसकी आरोपी से पहले भी मुलाकात हुई थी।

9. साक्षी महेश अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी सुरेश को नाम व शक्ल से जानता है। सुरेश उसे माता के मंदिर पर मिलता रहता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन साल पहले दोपहर 12-01 बजे की है। वह घटना वाले दिन खेरिया पर खड़ा था। सुरेश मोटरसाईकिल से मौ की तरफ से आ रहा था और सतीश मोटरसाईकिल से जा रहा था। खेरिया पर रामवरन की पुलिया के पास एक्सीडेंट हो गया था। सुरेश ने विनोद की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से सतीश का पैर टूट गया था। टक्कर मारने वाली मोटर साईकिल का नम्बर एमपी 07 एमएच 7992 था। मोटरसाईकिल को आरोपी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्र0डी0 1 के पुलिस कथन में आरोपी सुरेश की पहचान व उसका नाम नहीं बताया था। उसने आरोपी सुरेश द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली बात विनोद एवं सतीश को बताई थी। सतीश और विनोद से कहा था कि सुरेश के नाम से ही रिपोर्ट करना अगर उन्होंने सुरेश के नाम से रिपोर्ट न की हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। पदक्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति की मोटरसाईकिल घटना करने के बाद 10-15 मिनट तक वहीं खड़ी रही थी।

10. साक्षी विनोद अ0सा0 4 ने कथन किया है कि वह आरोपी सुरेश को जानता है। घटना वर्ष 2011 के दिन के लगभग 11 बजे की है। वह अपनी बाइक से मौ जा रहा था। सतीश का एक्सीडेंट होने का पता चला था तो वह वहां पर पहुंच गया था। रामवरन के कुए पर एक्सीडेंट हुआ था। उसने मौके पर सुरेश को पकड़ लिया था। सतीश के पैर में फ्रेक्चर हो गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 के चालक सुरेश ने तेजी व लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाकर सतीश में टक्कर मार दी थी।

11. मनोज अ0सा0 3 ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी सुरेश को नहीं जानता है। उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। वह मौके पर नहीं पहुंचा था अस्पताल पहुंचा था। उसके सामने मोटरसाईकिल जप्त नहीं हुई थी और न ही उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी0 2 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 3 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।

12. ए0एस0आई0 आर0बी0 शर्मा अ0सा0 5 ने प्र0पी0 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 6 ने आहत सतीश की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी0 8 को प्रमाणित किया है। डॉ0 एफ0सी0 बंसल अ0सा0 8 ने आहत सतीश की एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 9 को प्रमाणित किया है एवं ए0एस0आई0 शिवदत्त अ0सा0 7 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

14. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक को आहत सतीश के शरीर पर उपहतियां थी? यदि हां तो उनकी प्रकृति? उक्त संबंध में डॉ. आर0 विमलेश अ0सा0 6 जिनके द्वारा प्र0पी0 8 की चिकित्सकीय रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 08.06.11 को डॉ0 हरीश हासवानी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौ में कार्यरत था। उक्त दिनांक को डॉ0 हासवानी ने आहत सतीश का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान सतीश के शरीर पर दो चोटें पाई थीं। उसमें से चोट क्रमांक 1 दाहिने पैर की हड्डी में विकृति के साथ कड़ापन था। चोट क्रमांक 2 दाहिनी एडी पर खरोंच मौजूद थी। डॉ0 हासवानी के अनुसार उक्त दोनों चोटें सख्त एवं भौथरी वस्तु से आना संभव थीं जो उसके परीक्षण अवधि के 24 घण्टे के अंदर की थी। चोट क्रमांक 1 की प्रकृति जानने के लिए डॉ0 हासवानी ने एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी0 8 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हासवानी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह डॉ0 हासवानी के हस्ताक्षरों को पहचानता है एवं यह भी स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें वाहन से गिरने पर आना संभव हैं।

15. डॉ0 एफ0सी0 बंसल अ0सा0 8 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 08.06.11 को परिवार हॉस्पिटल में आहत सतीश का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान



उसने सतीश के दाहिने पैर की टीवीया एवं फेबुला हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 9 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. फरियादी सतीश अ0सा0 1 ने भी घटना दिनांक को उसके दाहिने पैर में चोट आना बताया है। साक्षी महेश अ0सा0 2 एवं विनोद अ0सा0 4 ने भी घटना दिनांक को फरियादी सतीश के पैर में फ्रेक्चर होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों का कथन फरियादी सतीश के शरीर पर घटना दिनांक को चोट होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है।

17. इस प्रकार फरियादी सतीश अ0सा0 1 ने घटना दिनांक को अपने दाहिने पैर में चोट आना बताया है। उक्त बिंदु पर फरियादी सतीश अ0सा0 1 के कथन का समर्थन साक्षी महेश अ0सा0 2 एवं विनोद अ0सा0 4 द्वारा भी किया गया है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 6 जिनके द्वारा चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 8 पर डॉ0 हासवानी के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया गया है ने भी अपने कथन में बताया है कि प्र0पी0 8 की चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक को फरियादी सतीश के दाहिने पैर एवं दाहिनी एडी में चोट थी। डॉ0 एफ0सी0 बंसल अ0सा0 8 ने भी घटना दिनांक को फरियादी सतीश के दाहिने पैर में टीवीया एवं फेबुला हड्डी में अस्थिभंग होना बताया है। इस प्रकार से उक्त बिंदु पर फरियादी सतीश अ0सा0 1 के कथन का समर्थन डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 6 एवं डॉ0 एफ0सी0 बंसल अ0सा0 8 द्वारा भी किया गया है। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी सतीश के दाहिने पैर में चोट होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी सतीश के कथन की पुष्टि प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी हो रही है। उक्त बिंदु पर फरियादी सतीश अ0सा0 1 के कथन का समर्थन साक्षी महेश अ0सा0 2 एवं विनोद अ0सा0 4 द्वारा भी किया गया है। उक्त साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान सभी साक्षीगण का कथन घटना दिनांक को फरियादी सतीश के दाहिने पैर में चोट होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी सतीश के शरीर पर उपहतियां थी, जिनकी प्रकृति गंभीर थी।

18. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आहत सतीश को उक्त उपहतियां वाहन दुर्घटना में कारित हुई थीं। उक्त संबंध में फरियादी सतीश अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिन के एक बजे की है वह अपनी मोटरसाईकिल से अपने गांव मौ जा रहा था। उसकी मोटरसाईकिल को विनोद चला रहा था एवं वह पीछे बैठा था। रामवरन की पुलिया के पास मौ बेहट रोड पर मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 के चालक ने लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई थी। साक्षी महेश अ0सा0 2 एवं विनोद अ0सा0 4 ने भी फरियादी सतीश के वाहन दुर्घटना में चोट आना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी सतीश के वाहन दुर्घटना के चोट आने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी सतीश के वाहन दुर्घटना में चोट आने का उल्लेख है। इस प्रकार से उक्त

बिंदु पर फरियादी सतीश का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से भी पुष्ट रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्य के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि फरियादी सतीश को आई चोटें वाहन दुर्घटना में कारित हुई थीं।

19. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त वाहन दुर्घटना आरोपी सुरेश ने आरोपित मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए कारित की थी? उक्त संबंध में फरियादी सतीश यादव अ0सा0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना वाले दिन अपनी मोटरसाईकिल से मौ जा रहा था। उसकी मोटरसाईकिल को विनोद चला रहा था एवं वह पीछे बैठा था तभी मौ बेहट रोड पर रामकरन की पुलिया के पास प्लेटिना मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी सुरेश को जानता है तथा यह भी बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी सुरेश मोटरसाईकिल लेकर मौ की तरफ से आ रहा था।

20. इस प्रकार फरियादी सतीश अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी सुरेश द्वारा मोटरसाईकिल चलाना बताया है, परंतु यह बात कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल को आरोपी सुरेश चला रहा था उसके द्वारा प्र0पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने पुलिस कथन में नहीं बताई गई है। यदि वास्तव में फरियादी सतीश अ0सा0 1 ने आरोपी सुरेश को घटना के वक्त मोटरसाईकिल चलाते हुए देखा था एवं वह आरोपी को नाम अथवा शकल से जानता था तो यह बात उसके द्वारा प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य बताई जाती, परंतु प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी सुरेश द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में फरियादी सतीश का यह कथन कि वह आरोपी सुरेश को जानता है एवं घटना वाले दिन सुरेश मोटरसाईकिल को चला रहा था विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है तथा फरियादी सतीश के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि फरियादी द्वारा पश्चातवर्ती प्रकृम पर अपने कथनों में सुधार किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कथन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में फरियादी सतीश के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना वाले दिना आरोपित मोटरसाईकिल को आरोपी सुरेश चला रहा था एवं उसने आरोपी सुरेश को मोटरसाईकिल चलाते हुए देखा था।

21. साक्षी महेश अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी सुरेश को नाम तथा शकल से जानता है। वह उसे माता के मंदिर में मिलता रहता है। घटना वाले दिन सुरेश ने मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 को तेजी से चलाते हुए सतीश की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने सुरेश द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली बात विनोद तथा सतीश को बता दी थी एवं उसने सतीश एवं विनोद से कह दिया था कि सुरेश के नाम की ही रिपोर्ट करना। इस प्रकार महेश अ0सा0 2 ने भी न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेश द्वारा आरोपित मोटरसाईकिल को चलाते हुए सतीश की मोटरसाईकिल में टक्कर मार देना बताया है, परंतु यह बात साक्षी महेश अ0सा0

2 द्वारा अपने पुलिस कथन प्र0डी0 1 में नहीं बताई गई है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने सतीश एवं विनोद से कहा था कि सुरेश के नाम की रिपोर्ट करना, परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी साक्षी महेश अ0सा0 2 के प्र0डी0 1 के पुलिस कथन में नहीं है न ही यह बात कि महेश ने सतीश एवं विनोद से सुरेश के नाम से रिपोर्ट करने के लिए कहा था स्वयं फरियादी सतीश अ0सा0 1 एवं विनोद अ0सा0 4 द्वारा बताई गई है। इस प्रकार से उक्त बिंदु पर साक्षी महेश अ0सा0 2 के कथन उसके पुलिस कथन प्र0डी0 1 से विरोधाभासी रहे हैं। उक्त बिंदु पर साक्षी महेश अ0सा0 2 के कथन फरियादी सतीश अ0सा0 1 एवं विनोद अ0सा0 4 के कथनों से भी विरोधाभासी रहे हैं। इसके अतिरिक्त महेश अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति की मोटरसाईकिल 10-15 मिनट तक वहीं खड़ी रही थी, परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी महेश अ0सा0 2 के पुलिस कथन प्र0डी0 1 में नहीं है। पुलिस कथन प्र0डी0 1 के अनुसार आरोपित वाहन का चालक मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बेहट की तरफ भगा कर ले गया था। इसप्रकार उक्त बिंदु पर भी महेश अ0सा0 2 के कथन उसके पुलिस कथन प्र0डी0 1 से विरोधाभासी रहे हैं। महेश अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी सुरेश द्वारा आरोपित मोटरसाईकिल को चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित करना बताया है, परंतु यह बात उसके द्वारा अपने पुलिस कथन प्र0डी0 1 में नहीं बताई गई है। ऐसी स्थिति में साक्षी महेश अ0सा0 2 के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है एवं महेश अ0सा0 2 के कथन से भी यही दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने पश्चातवर्ती प्रकृम पर अपने कथनों में सुधार करते हुए आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करना बताया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय आरोपित मोटरसाईकिल को आरोपी सुरेश चला रहा था।

22. जहां तक साक्षी विनोद अ0सा0 4 के कथन का प्रश्न है तो विनोद अ0सा0 4 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी सुरेश परिहार को जानता है। घटना वाले दिन वह अपनी बाइक से मौ जा रहा था। सतीश के एक्सीडेंट होने की जानकारी मिली तो वह वहां पर पहुंच गया था। उसने सुरेश को मौके पर पकड़ लिया था। वह रतनगण वाली माता पर नहीं गया था। इस प्रकार से विनोद अ0सा0 4 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने सुरेश को मौके पर ही पकड़ लिया था, परंतु यह बात स्वयं फरियादी सतीश अ0सा0 1 एवं महेश अ0सा0 2 द्वारा नहीं बताई गई है। इस प्रकार से उक्त बिंदु पर विनोद अ0सा0 4 के कथन फरियादी सतीश अ0सा0 1 एवं महेश अ0सा0 2 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं। इसके अतिरिक्त विनोद अ0सा0 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसने आरोपी सुरेश को मौके पर पकड़ लिया था, परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि विनोद ने मौके पर सुरेश को पकड़ लिया था विनोद के पुलिस कथन प्र0पी0 5 में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी विनोद अ0सा0 4 का कथन उसके पुलिस कथन प्र0पी0 5 से भी विरोधाभासी रहा हैं। साक्षी विनोद अ0सा0 4 के कथन फरियादी सतीश अ0सा0 1 एवं महेश अ0सा0 2 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में विनोद अ0सा0 4 का कथन विश्वास योग्य नहीं है एवं विनोद अ0सा0 4 के कथनों से भी संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल को आरोपी सुरेश चला रहा था।

23. ए0एस0आई0 शिवदत्त अ0सा0 7 ने दिनांक 22.12.2011 को आरोपी सुरेश से आरोपित मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 को जप्त करना बताया है, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 08.06.11 की है एवं ए0एस0आई0 शिवदत्त अ0सा0 7 ने आरोपी सुरेश से दिनांक 22.12.11 को आरोपित मोटरसाईकिल को जप्त करना बताया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 22.12.11 को आरोपी सुरेश से मोटरसाईकिल जप्त होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने घटना दिनांक को वाहन दुर्घटना कारित की थी।

24. इस प्रकार से समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी सतीश अ0सा0 1 महेश अ0सा0 2 एवं विनोद अ0सा0 4 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं। साक्षी मनोज अ0सा03 भी घटना का प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। शेष साक्षी ए0एस0आई0 आर0बी0 शर्मा अ0सा0 5 एवं ए0एस0आई0 शिवदत्त अ0सा0 7 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है, जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 को आरोपी सुरेश चला रहा था एवं आरोपी सुरेश ने आरोपित मोटरसाईकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

25. जहां तक आरोपी द्वारा बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के आरोपित मोटरसाईकिल चलाए जाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि उपर वर्णित विवेचना के अनुसार अभियोजन यह ही प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 को आरोपी सुरेश चला रहा था एवं आरोपी सुरेश ने आरोपित मोटरसाईकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि आरोपी सुरेश ने आरोपित मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया था। अतः आरोपी को उक्त अपराध में भी दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

26. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी सतीश अ0सा0 1, महेश अ0सा0 2 एवं विनोद अ0सा0 4 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं। अतः उक्त साक्षीगण के कथन विश्वास योग्य नहीं हैं। साक्षी मनोज अ0सा03 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। शेष साक्षी ए0एस0आई0 आर0बी0 शर्मा अ0सा0 5 एवं ए0एस0आई0 शिवदत्त अ0सा0 7 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है, जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होना हो कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमएच 7992 को आरोपी सुरेश चला रहा था एवं आरोपी सुरेश ने आरोपित मोटरसाईकिल को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए फरियादी सतीश की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति



कारित की। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

27. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.06.11 को दिन लगभग 13 बजे रामकरण के ट्यूबबेल के पास मौ बेहट रोड थाना मौ में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्र. एमपी 07 एमएच 7992 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी सतीश की मोटरसाइकिल क्र. एमपी 30 एमडी 1304 में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गम्भीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी सुरेश परिहार को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

29. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

30. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्र. एमपी 07 एमएच 7992 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 26.05.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)